

कार्यालय- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण 'आत्मा', सीतामढ़ी

FAX.No.-PH.No. - 06226-250502 Email: dao-sit-bih@nic.in

पत्रांककृ० सीतामढ़ी दिनांक.....वीं जून 2012

प्रेषक,

परियोजना निदेशक, 'आत्मा'
सीतामढ़ी।

सेवा में,

प्रखंड कृषि पदाधिकारी (सभी)।
विषय वस्तु विशेषज्ञ (सभी)।

विषय-

आत्मा योजना अंतर्गत कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष कार्यक्रम (बी०-३-क) वर्ष 2012-13 में कृषकों को दिए जाने वाले उपादान के संदर्भ में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में कहना है कि आत्मा योजना अंतर्गत कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष कार्यक्रम (बी०-३-क) वर्ष 2012-13 के तहत जिले में कुल 178 प्रत्यक्ष श्री विधि से धान की खेती विषय पर होना है।

इस प्रत्यक्ष में प्रखंडवार लक्ष्य तथा कृषकों के बीच आपूर्ति किए जाने वाली मात्रा निम्न हैं-

आत्मा योजना अंतर्गत वर्ष 2012-13 में कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष (विषय - श्री विधि से धान की खेती) हेतु दिए जाने वाले उपादान का विवरण-(कुल प्रत्यक्ष 178 (एकड़ में))

क्र०सं०	प्रखंड का नाम	पंचायत की संख्या	प्रत्यक्ष की संख्या (एकड़ में)	प्रति प्रत्यक्ष उपादान का विवरण
1	बाजपट्टी	19	12	(1) प्रमाणित बीज 2kg
2	बैरगनियों	8	5	(2) बीजोपचार
3	बथनाहा	21	14	(क) साधारण नमक-200 ग्राम
4	बेलसंड	9	6	(ख) कार्बेन्डाजीम-50%WP -4 ग्राम
5	बोखड़ा	11	7	(3) नर्सरी प्रबंधन
6	चौरौत	7	5	(क) एजोस्पाइरलम 400 ग्राम
7	डुमरा	28	18	(ख) पी०एस०बी० 400 ग्राम
8	मेजरगंज	8	5	(ग) वर्मी कम्पोस्ट 20 किलो ग्राम
9	नानपुर	17	11	(4) उर्वरक
10	परिहार	27	18	(क) एन०पी०के० मिक्चर 50 किलो ग्राम
11	परसौनी	7	5	(ख) यूरिया 25 किलो ग्राम
12	पुपरी	13	8	(ग) सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक सल्फेट 33% -2kg
13	रीगा	16	10	(5) वर्मी कम्पोस्ट 200 किलो ग्राम
14	रुन्नीसैदपुर	33	22	(6) पलैक्सी बैनर - 1 अदद
15	सोनबरसा	20	13	
16	सुप्पी	11	7	
17	सुरसंड	18	12	
कुल योग-		273	178	

विदित हो कि उपर्युक्त प्रत्यक्षण की लागत रू0 3000/-प्रति प्रत्यक्षण हैं। अतः कृषकों से ली जाने वाली सहयोग राशि निम्न प्रकार होगी-

क्र0सं0	कृषक की श्रेणी	ली जाने वाली सहयोग का प्रतिशत	प्रति प्रत्यक्षण ली जाने वाली सहयोग राशि
01	अनुसूचित जाति/जनजाति	5 प्रतिशत	150/-
02	महिला	5 प्रतिशत	150/-
03	अन्य	10 प्रतिशत	300/-

विशेष- प्रत्यक्षण के लिए लाभार्थी कृषकों का चयन करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक हैं-

1. आरक्षण कोटि का अक्षरण पालन करना अनिवार्य हैं।
2. प्रत्यक्षण, किसान पाठशाला में चूने गए प्रशिक्षणार्थी कृषकों के बीच वितरित करने का प्रयास करें।
3. लाभार्थी कृषकों का उपादान के साथ पोस्ट कार्ड साइज फोटो अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करें। अभिश्रव प्रस्तुत करने पर नियमानुकुल भुगतान किया जाएगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

परियोजना निदेशक, 'आत्मा'
सीतामढी।

ज्ञापांक दिनांक


प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, सीतामढी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

परियोजना निदेशक, 'आत्मा'
सीतामढी।

ज्ञापांक 264 दिनांक 25/06/2012

प्रतिलिपि : आलोक कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ को आत्मा सीतामढी के बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित।


परियोजना निदेशक, 'आत्मा'
सीतामढी।